झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

अधि०सं0–8 / गठन / 109 / 2017 / न०वि०आ० / 2314 (अर्जुन) रांँची, दिनांक– 02/05/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (1), (2) धारा–4, 5, 6, 8 की उपधारा–(3) तथा धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेशानुसार गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया अंचल के 01 राजस्व ग्राम को उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–1159 / न०प० दिनांक–23.09.2017 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०–7216, दिनांक–22.11.2017 द्वारा संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, गिरिडीह को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–569 / न0प0, दिनांक–26.03.2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०–7216, दिनांक–22.11.2017 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपायुक्त, गिरिडीह ने उक्त पत्र द्वारा बड़की सरैया नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (2) (स), धारा–4, 5, 6, 8 एवं धारा–14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया अंचल के 01 राजस्व ग्राम (राजस्व ग्राम का नाम जनसंख्या सहित अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न) को अधिसूचना निर्गत की तिथि से बड़की सरैया नगर पंचायत गठन की घोषणा करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 109 / 2017 / न०वि०आ० / 2314 रांँची, दिनांक– 02/05/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 109 / 2017 / न०वि०आ० / 2314 रांँची, दिनांक– 02/05/18

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 109 / 2017 / न०वि०आ० / 2314 रांँची, दिनांक– 02/05/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण / निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड / सभी प्रशाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग / श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Manju/T/Sec-8/Adhisuchna-116

अनुलग्नक–I

2314
02/05/18

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

बड़की सरैया नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–569/न०प०, दि०–26.03.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गिरिडीह जिला अन्तर्गत बड़की सरैया नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:–

पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
बड़की सरैया	बड़की सरैया	44	22889	2543

बड़की सरैया नगर पंचायत एक झलक में :–

1.	बड़की सरैया नगर पंचायत की कुल जनसंख्या	22889 व्यक्ति
2.	जनसंख्या का घनत्व	2543 प्रति वर्ग कि.मी.।
3.	बड़की सरैया नगर पंचायत का क्षेत्रफल	18.68 वर्ग कि.मी.।

26.4.18

(अपर मुख्य सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Manju/E/Sec-8/Adisuchna all/Adisuchna prapatra-5